

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :-9फ/NTCP/FCTC/2022-23/541

लखनऊ/दिनांक-19/05/2022

विषय:-**Foundation for Smoke-Free world(FSFW)** अथवा अन्य किसी तम्बाकू उद्योग नीत फाउन्डेशन के साथ सहभागिता/सहयोग से बचने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/9473, दिनांक 04.03.2022 एवं पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/9445, दिनांक 17.02.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद-5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-583/पांच-7-2019, दिनांक 16.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) में तम्बाकू नियंत्रण हेतु तम्बाकू कम्पनियों द्वारा जनपदों में अनेकानेक माध्यम से किये जा रहे तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर अंकुश लगाये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।

उक्त के क्रम में कृपया अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 के पत्र संख्या-जी०आई०-22/पांच-7-2022, दिनांक 12 मई दिनांक 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी०16012/08/2019-टी०सी०, दिनांक 24 जून, 2019 (छायाप्रति संलग्न) तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी०16012/08/2019-टी०सी०, दिनांक 24 अप्रैल, 2022 (छायाप्रति संलग्न) को संलग्न करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद-5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में Foundation for Smoke-Free world(FSFW) अथवा तम्बाकू उद्योग नीति किसी अन्य फाउन्डेशन या संगठन का किसी कार्यक्रम में सहयोग नहीं लेने तथा उनके साथ सहभागिता से बचने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप अपर मुख्य सचिव महोदय के उक्त पत्र दिनांक 12 मई, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद-5.3 के आलोक में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-583/पांच-7-2019, दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित दिशा- निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करवाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

निदेशक(स्वास्थ्य)/

राज्य नोडल अधिकारी, एन०सी०डी०।

तद्दिनांक

पत्रांक :-9फ/NTCP/FCTC/2022-23/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
- 2-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
- 3-समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ जनपदों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 4-उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
- 5-अधिशासी निदेशक, यू०पी०वी०एच०ए०।

संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)/

राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन०टी०सी०पी०।

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :-9फ/NTCP/FCTC/2022-23/

लखनऊ/दिनांक-19/05/2022

विषय:-**Foundation for Smoke-Free world(FSFW)** अथवा अन्य किसी तम्बाकू उद्योग नीत फाउन्डेशन के साथ सहभागिता/सहयोग से बचने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/9473, दिनांक 04.03.2022 एवं पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/9445, दिनांक 17.02.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद-5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-583/पांच-7-2019, दिनांक 16.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) में तम्बाकू नियंत्रण हेतु तम्बाकू कम्पनियों द्वारा जनपदों में अनेकानेक माध्यम से किये जा रहे तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर अंकुश लगाये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।

उक्त के क्रम में कृपया अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 के पत्र संख्या-जी०आई०-22/पांच-7-2022, दिनांक 12 मई दिनांक 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी०16012/08/2019-टी०सी०, दिनांक 24 जून, 2019 (छायाप्रति संलग्न) तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी०16012/08/2019-टी०सी०, दिनांक 24 अप्रैल, 2022 (छायाप्रति संलग्न) को संलग्न करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद-5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में Foundation for Smoke-Free world(FSFW) अथवा तम्बाकू उद्योग नीति किसी अन्य फाउन्डेशन या संगठन का किसी कार्यक्रम में सहयोग नहीं लेने तथा उनके साथ सहभागिता से बचने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप अपर मुख्य सचिव महोदय के उक्त पत्र दिनांक 12 मई, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद-5.3 के आलोक में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-583/पांच-7-2019, दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित दिशा- निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करवाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

निदेशक(स्वास्थ्य)/
राज्य नोडल अधिकारी, एन०सी०डी०।
तद्दिनांक

पत्रांक :-9फ/NTCP/FCTC/2022-23/542-46

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
- 2-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
- 3-समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ जनपदों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 4-उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
- 5-अधिशासी निदेशक, यू०पी०वी०एच०ए०।

संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)/
राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन०टी०सी०पी०।